राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

क्रमांकःएफ56(क)()FA/DLB/MSRGY/2024-25/ 33790 दिनांकः 24.12.24

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–यूनिफाईड पी.डी.स्कीम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत इन्टीग्रेशन के माध्यम से गलत डेटा प्राप्त होने के संबंध में।

प्रसंगः–निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान का पत्र क्रमांक एफ.5(थ–75)डीटीए / PFMS/UPDA/5744 दिनांक 23 / 12 / 2024

संदर्भः–संयुक्त निदेशक (आई.टी)एन.आई.सी की ई–मेल दिनांक 23 / 12 / 2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि यूनिफाईड पी.डी.स्कीम स्कीम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लाभार्थियों को किये जाने वाले भुगतान के विभागीय पोर्टल में इन्टीग्रेशन के माध्यम से आई.एफ.एम.एस को प्राप्त डाटा की एन.आई.सी द्वारा जांच में 2000 से अधिक प्रकरणों में एक बैंक खाते के साथ अनेक लाभार्थियों को जोड़ना पाया गया है।

एक बैंक खाते से अनेक लाभार्थियों को भुगतान कराया जाना अत्यन्त गंभीर प्रकरण है। अतः आपकी नगरीय निकाय स्तर पर शहरी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत किये गये समस्त भुगतान की उक्त संदर्भ में जांच करावें तथा उक्त प्रकार के अनियमित भुगतान के प्रकरण पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये स्पष्टीकरण 3 दिवस में निदेशालय को भिजवायें।

(महेन्द्र मोहन)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांकःएफ56(क)()FA/DLB/MSRGY/2024-25/ 33791 दिनांकः 24.12.24

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं परियोजना समन्वयक, समस्त राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक (MSRGY), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/PFMS/UPDA/5755 दिनांक 23/12/24

निदेशक
स्वायत्त शासन विभाग
जयपुर।

विषयः– **यूनिफाईड पी.डी. स्कीम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत इन्टीग्रेशन के माध्यम से गलत डेटा प्राप्त होने के संबंध में।**

संदर्भः– संयुक्त निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. की ई–मेल दिनांक 23.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि यूनिफाईड पी.डी. स्कीम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को किए जाने वाले भुगतान का डेटा विभागीय पोर्टल इन्टीग्रेशन के माध्यम से आई.एफ.एम.एस. को प्राप्त हो रहा है। एन.आई.सी. ने डाटा की जांच करने पर यह पाया गया है कि लगभग 2000 से अधिक बैंक खातों में एक बैंक खाते के साथ अनेक लाभार्थियों को जोड़ा गया है। सुलभ संदर्भ हेतु एन.आई.सी. ने दो बैंक खाते (खाता संख्या 047010042103 एवं 047010042106) की सूचना उपलब्ध करवाई है जिसमें एक बैंक खाते के साथ कई लाभार्थियों को जोड़ा गया है :–

BankActno	IFSC	Name
047010042103	IPOS0000001	Suman Kamad
047010042103	IPOS0000001	KANKU
047010042103	IPOS0000001	Chanda Bai
047010042103	IPOS0000001	Reekha
047010042103	IPOS0000001	Kanhaiya Lal

BankActno	IFSC	Name
047010042106	IPOS0000001	Raju Jhuthawat
047010042106	IPOS0000001	KAVITA NINAMA
047010042106	IPOS0000001	Pradeep Prajapati
047010042106	IPOS0000001	Nikita Ganchha
047010042106	IPOS0000001	Bhagwan Lal

एक बैंक खातें से अनेक लाभार्थियों को भुगतान कराया जाना गंभीर प्रकरण है। अतः संबंधित स्कीम प्रभारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर वस्तुस्थिति से अवगत करावें का अनुरोध है

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अमिता शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752